N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0218 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/09/2024 19:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 28/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 18:40 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/09/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/09/2024 19:26:34 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 220 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** RAILWAY VIBHAG KI KHALI JAGAH, SECTOR OFFICE KE SAMNE, CHANDERIYA DIS.CHITTORGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** LOKESH GUJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NARAYAN LAL GUJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1985 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MUKAM CHANDERIYA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TEKRI POLICE LINE KE PASS, UDAIPUR, SURAJPOLE, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JAYRAJ KUNNDRA		पिता:AMBALAL KUNNDRA	1. 14,SANWARIYA COLONY,CHANDERIYA,CHANDERIYA,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

कार्यवाही पुलिस महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 18.09.2024 समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर पुत्र श्री नारायण लाल गुर्जर उम्र 39 वर्ष जाति गुर्जर निवासी टेकरी पुलिस लाईन के पास उदयपुर पुलिस थाना सुरजपोल जिला उदयपुर हाल मुकाम चंदेरिया जिला चित्तौडगढ हाल सफाई कर्मचारी कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उक्त मजमुन रिपोर्ट इस प्रकार है कि " मुझ प्रार्थी लोकेश गुर्जर पुत्र श्री नारायण लाल गुर्जर उम्र 39 वर्ष जाति गुर्जर निवासी टेकरी पुलिस लाईन के पास उदयपुर पुलिस थाना सुरजपोल जिला उदयपुर हाल मुकाम चंदेरिया जिला चित्तौडगढ हाल सफाई कर्मचारी कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ मे कार्यरत हुं मेरी ड्यूटी सैक्टर ऑफिस चन्देरिया के क्षैत्र में लगी हुई है जहा पर जमादार श्री जयराज कण्डारा लगा हुआ है जमादार श्री जयराज कण्डारा के अधिनस्थ होने से जयराज जी द्वारा मेरे से हाजरी भरने के प्रतिमाह वेतन से 8,000 रूपये बंधी के रूप में मांग कर रहा है मेरे को कार्यालय नगर परिषद द्वारा पुर्व में स्वेच्छा से कार्य से अनुपस्थित रहने संबंधी नोटिस दिया गया था जिसका जवाब मेरे द्वारा कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ को प्रस्तुत किया जा चुका था श्री जयराज मेरे से पुर्व में अनुपस्थित रहने के दौरान दिये गये नोटिस को फाईल कराने तथा पिछले 3-4 माह की हाजरी की बन्धी को मिलाकर 40000रूपये जयराज कण्डारा को दी है बाद में दिनांक 18.09.2024 को मेरे द्वारा जयराज से बात करने पर नोटिस फाईल कराने और बकाया वेतन दिलाने के लिये 25000 रूपये की मांग कर रहा है श्री जयराज द्वारा 25000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग आज दिनांक 18.09.2024 को कुछ समय पहले मागें एवं मै ऐसे भ्रष्ट जमादार श्री जयराज कण्डारा को रिश्वत नही देना चाहता हूं बल्कि उसे रिश्वत राशि लेते हुए को पकड़वाना चाहता हूं । मेरी जमादार श्री जयराज कण्डारा से किसी भी प्रकार की रंजिश/द्वेषता नही है तथा उधार के रूपये पैसो का लेन-देन बकाया नहीं है। मै बिना किसी दबाव के कार्यवाही कराना चाहता हुं। कानुनी कार्यवाही करावे।" उक्त मजमुन रिपोर्ट के क्रम में परिवादी श्री लोकेश गुर्जर से दरियाफ्त की गई तो उक्त मजमुन रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि की तथा मजिद दरियाफ्त बताया कि "मै ऐसे भ्रष्ट जमादार श्री जयराज कण्डारा सैक्टर चन्देरिया को मेरे वैध काम के बदले रिश्वत राशि लेते हुये को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं कार्यवाही करवाये।" उपरोक्त मजमुन रिपोर्ट एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का प्रथम दृष्टया पाया जाता है तथा परिवादी अतः परिवादी श्री लोकेश गुर्जर से संदिग्ध आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक है इसलिये रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु कार्यालय हाजा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर हैड कानि श्री जितेन्द्र सिंह का परिचय कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री लोकेश गुर्जर से करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्यवाही रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.09.2024 को कराने हेतु निर्देशित किया गया। बाद सत्यापन हालात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराने की हिदायत मुनासिब की गई। बाद आवश्यक दिशा निर्देश एवं उक्त कार्यवाहीं की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत परिवादी श्री लोकेश गुर्जर को दी गई और बताया गया कि कार्यालय श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि से कल दिनांक 19.09.2024 को संपर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करावे। बाद फारिक परिवादी श्री लोकेश गुर्जर को रूखसत किया गया । इसके उपरान्त दिनांक 26.09.2024 समय 1000 एएम पर उक्त कार्यवाही के पूर्व के हालात इस प्रकार दर्ज है कि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह दिनांक 18.09.2024 को समय 0200 पीएम पर दिनांक 25.09.2024 तक उपार्जित अवकाश गया हुआ आज दिनांक 26.09.2024 को उपस्थित कार्यालय हुआ एवं उक्त ट्रेप कार्यवाही के हालात कार्यालय हाजा के श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि ने डिवीआर सुपुर्द कर अर्ज किया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मन हैड कानि द्वारा दिनांक 19.09.2024 को समय 0710 एएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] से वार्ता होने पर परिवादी ने कपासन चैराया मिलने के लिये कहा गया जिस पर मन जितेन्द्र सिंह हैड कानि कार्यालय से डिवीआर मय मेमोरी कार्ड के प्राप्त कर कपासन चैराये के लिये रवाना हुआ जहां पर पुर्व वार्ता अनुसार परिवादी श्री लोकेश गुर्जर कपासन चैराया उपस्थित मिला जिनसे डिवीआर चालु बंद करने की समझाईश कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता संदिग्ध आरोपी श्री जयराज कण्डारा से वार्ता कर वार्ता को रिकार्ड करने की परिवादी को हिदायत मुनामिब की एवं कपासन चैराया से परिवादी के साथ मन हैड कानि जितेन्द्र सिंह रेल्वे फाटक चंदेरिया से पहले रोड के साईड खडे रहकर परिवादी ने संदिग्ध आरोपी श्री जयराज कण्डारा के मोबाईल नंबर

[redacted] पर संपर्क कर अपनी लोकेशन बताई जिस पर संदिग्ध ने वहीं पर आकर बात करने की कहा जिस समय करीब 0933 एएम पर संदिग्ध आरोपी चंदेरिया फाटक के पास जहां परिवादी खडा था वहां आकर परिवादी लोकेश गुर्जर एवं संदिग्ध श्री जयराज कण्डारा के मध्य आपस में जो बातचीत हुई उसको डिवीआर में रेकार्ड की गई बाद वार्ता परिवादी मेरे पास आकर बताया कि मेरी वार्ता श्री जयराज कण्डारा से हो गई है परंतु मेरे पास कुछ रूपये नहीं होने के कारण संदिग्ध आरोपी मुझे नोटिस नगर परिषद चित्तौडगढ से लाने के संबध में एंव उसका जवाब देने के संबंध में वार्ता की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री लोकेश गुर्जर को हिदायत मुनासिब की गई की उक्त वार्ता में रिश्वत राशि मांग की पुष्टि नहीं होने से कल दिनांक 20.09.2024 को 0800 एएम उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रूखसत किया जिस पर परिवादी दिनांक 20.09.2024 को समय 1100 एएम पर कार्यालय मन जितेन्द्र सिंह हैड कानि कार्यालय से डिवीआर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी के साथ सत्यापन हेतु सैक्टर ऑफिस चन्देरिया की तरफ रवाना होकर सेक्टर ऑफिस के पास एक तरफ साईड मन हैड कानि द्वारा डिवीआर मय मैमोरी कार्ड परिवादी को चालु कर सुपुर्द कर समय 1152 पर संदिग्ध आरोपी से वार्ता करने हेतु रवाना किया गया तथा मन हैड कानि अपनी उपस्थिति आस पास छिपाते हुये खडा रहा फिर कुछ समय पश्चात परिवादी मन हैड कानि के पास उपस्थित होकर बताया कि संदग्धि श्री जयराज कण्डारा जमादार से रिश्वत राशि मांग वार्ता हुई है तथा कुल 22,000 रूपये की मांग की गई जिसमें 4,000 रूपये मेरे से वार्ता के समय लिये है और 18000 रूपये अब और दिया जाना तय हुआ है। तत्पश्चात करीब 0137 पीएम पर आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार के मोबाईल नंबर [redacted] से परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नंबर [redacted] पर कॉल आया जिसे डिवीआर में रिकार्ड किया गया उक्त रिकार्ड में परिवादी को नगर परिषद कार्यालय राहुल जी के पास भेजने संबंध में एवं कितने बजे आयेंगे तथा आरोपी यह भी कहता है कि पेमेन्ट तो डाला नहीं है तो परिवादी कहता है कि अकाउण्ट नंबर होतो दे दो डाईरेक्ट डाल दुंगा बाद में आरोपी कहता है मेरे नंबर पर ही डाल देना इत्यादी वार्ता की गई जिसको डिवीआर में रिकार्ड किया गया संक्षिप्त हालात श्रीमान को निवेदन किये गये फिर समय करीब 0306 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नंबर [redacted] से आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार के मोबाईल नंबर [redacted] पर हुई वार्ता में आरोपी 5,000 रूपये डालने के लिये कह रह है तथा परिवादी अकाउंट नम्बर पुछ रहा है तो आरोपी ने अपने अकाउंट नंबर 51106205182 बता रहा है और नये नोटिस क्या है मुझे तो पुराना ही तो बताया है, तेरह बचे थे ना जिस पर परिवादी कहता है आरोपी कहता है तेरह इत्यादी वार्ता की गई पर जिसको डिवीआर में रेकार्ड किया गया। परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि सहीत दिनाक 27.09.2024 कार्यालय पर आने हेतु हिदायत देकर रवाना कर समय करीब 0330 पीएम पर मन् हैड कानि ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया डिवीआर मय मेंमोरी कार्ड के सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। जो आज मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिवीआर रेकार्ड वार्ता को सुना गया तो उपरोक्त तथ्यो की पुष्टि हुई तथा उक्त रेकार्ड वार्ता सुनने पर पाया गया कि परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के पूर्व में दिये गये नोटिस के जवाब शामिल पत्रावली कराने एवं दिनांक 11.09.2024 से उपस्थिति भेजने तथा वेतन बनवाने की एवज में संदिग्ध आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार द्वारा सत्यापन के दौरान दिनांक 20.09.2024 को 4,000 रूपये नगद प्राप्त करने एवं शेष 18,000 रूपये की लेना तय होने की पुष्टि होती है जिससे स्पष्ट है कि आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार को रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडने हेतु अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिये गवाह तलबी करने एवं परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाना है। इसके उपरान्त दिनांक 27.09.2024 समय 1220 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर उपस्थित कार्यालय आया जिससे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 19.09.2024 एवं दिनांक 20.09.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में रेकार्ड की गई उक्त डिवीआर को परिवादी के समक्ष ऑन कर सुनाया गया तो परिवादी ने उक्त रेकार्ड वार्ता उक्त दिनांक को होने की पुष्टि की तथा रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था अब नहीं हुई है जो मै कल दिनांक 28.09.2024 को करके ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ उपस्थित हो जाउंगा तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहन की आवश्यकता होने से उप वन संरक्षक चित्तौडगढ के नाम तहरीर कार्यालय पत्र क्रमांक 1885 दिनांक 27.09.2024 जारी कर कानि चालक श्री शेर सिंह को कार्यालय उप वन संरक्षक चित्तौडगढ हेतु रवाना किया गया। इसके उपरान्त समय 0115 पीएम पर कानि चालक शेर सिंह मय तलबशुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री शेतान सिंह पुत्र श्री भैरू सिंह जाति राजपुत उम्र 29 साल निवासी समता नगर सैंती चित्तोडगढ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक चित्तौडगढ श्री अनिल कुमार जोशी पुत्र स्व. श्री मदनलाल जोशी जाति ब्राहम्ण उम्र 28 साल निवासी बा्रहम्णो की सरेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक चित्तौडगढ उपस्थित कार्यालय आये तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर ट्रेप कार्यवाही के संबंध में दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनो गवाहन ने अपनी-अपनी मौखिक सहमती दी जाने पर परिवादी श्री परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहानो का आपस में परिचय कराया गया तथा उक्त कार्यवाही से अवगत कराते हुये परिवादी द्वारा दिनांक 18.09.2024 को पेश हस्त लिखित कार्यवाही रिपोर्ट को दोनो गवाहन को पढ कर सुनाई गई सुन समझ सही मान दोनो गवाहन ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके उपरान्त समय 0130 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनो स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी की उपस्थित में

दिनांक 19.09.2024 को समय 0933 ए.एम. पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर व संदिग्ध श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मध्य चन्देरिया रेल्वे फाटक से पहले आमने-सामने (रूबरू) हुई वार्ता रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय दिनांक 20.09.2024 समय 1152 एएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर व संदिग्ध श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मध्य सैक्टर ऑफिस चन्देरिया के बाहर आमने-सामने (रूबरू) हुई वार्तारिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय दिनांक 20.09.2024 समय 0137 पीएम आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर[redacted]से परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वार्ता रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता चतुर्थ दिनांक 20.09.2024 समय 0306 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वार्ता कुल 04 वार्तायें जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में सुरक्षित है उक्त डिवीआर को कार्यालय मे कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त चारो वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि से तैयार करवाई जाकर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर एवं संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके उपरान्त समय 0500 पीएम पर परिवादी के पास रिश्वत मे दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नहीं होने परिवादी को कल दिनांक 28.09.2024 को 1100 एएम पर रूपयो की व्यवस्था कर पुनः कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत देकर रवाना किया गया। गवाहन को भी दिनांक 28.09.2024 को 1100 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 28.09.2024 समय 1100 एएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर एवं दोनो स्वतंत्र गवाह सर्वश्री शैतान सिंह वरिष्ठ सहायक तथा अनिल कुमार जोशी कनिष्ठ सहायक पूर्व पाबन्दशुदा उपस्थित ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ आये। इसके उपरान्त समय 0320 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री लोकेश गुर्जर पुत्र श्री नारायण लाल गुर्जर उम्र 39 वर्ष निवासी मकान नम्बर 261 पुलिस लाईन के पास टेकरी उदयपुर पुलिस थाना सुरजपोल जिला उदयपुर हाल सफाई कर्मचारी कार्यालय नगर परिशद चित्तौडगढ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर ने अपनी व्यवस्थानुसार अपने पास से निकालकर पाँच- पाँच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10 हजार रूपये पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है- 1 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 2KS 699829 2 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 1QL 929732 3 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 2AS 409696 4 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 8MG 627625 5 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 8RP 433312 6 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 2UT 136223 7 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 4ES 949141 8 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 2NW 533239 9 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 9FT 580427 10 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 8CW 930149 11 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 6AC 176805 12 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 0FN 925578 13 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 3BQ 077963 14 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 8RH 527369 15 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 6LE 538791 16 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 0FW 275477 17 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 6GW 671619 18 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 3RS 920606 19 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 4MK 679252 20 एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी 1KQ 964612 परिवादी श्री लोकेश गुर्जर द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 को मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री लोकेश की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। श्री सुनिल कुमार कानि से एक साफ प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः मालखाने में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये। इसके उपरान्त उपरोक्त डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट कराया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद मोबाईल से मिस कॉल कर अथवा गोपनीय निर्धारित ईशारा (अपने दोनो हाथो को स्वयं के सिर पर घुमाना) करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा श्री सुनिल

कुमार कानि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशियां, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व नये डिस्पोजल गिलास पेकेट ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री लोकेश को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 के दोनो हाथों को साफ-पानी व साबुन ने धुलवाये गये एवं उसें ट्रेप कार्यवाही के दौरान ब्यूरो कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। इसके उपरान्त समय 0350 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर 77379-35715 पर ट्रेप कार्यवाही में रवाना होने से पुर्व आरोपी की लोकेशन की जानकारी हेतु कॉल किया तो आरोपी अपने निजी कार्य से भीलवाडा जाना बताया जो करीब 0600 पीएम पर चन्देरिया सेक्टर ऑफिस पर मिलने के लिये कहा जिस पर करीब 0600 पीएम पर आरोपी से पुनः सम्पर्क कर ट्रेप के लिये रवाना होंगे सभी ट्रेप दल सदस्यों को ब्यूरो कार्यालय में मुकिम रहने की हिदायत मुनासिब की गई। इसके उपरान्त समय 5.45 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मो.न. [redacted] पर आरोपी श्री जयराज कण्डारा के मो. न. [redacted] से मोबाईल कॉल आया और बताया कि मै चन्देरिया पहुचं गया हूं तुम सेक्टर आफिस आ जाओ। इसके उपरान्त समय 6.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री शैतान सिह, श्री अनिल कुमार जोशी मय ट्रैप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिह सउनि, श्री ओमप्रकाश सउनि, जितेन्द्र सिह हेड कानि, श्री सुनिल कुमार कानि. मय परिवादी श्री लोकेश गुर्जर को डिवीआर के मय लैपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन मय चालक श्री शेर सिह के ट्रेप कार्यवाही हेतु चन्देरिया की तरफ रवाना हुये। चैकी हाजा पर महिला कानि श्रीमति टीना कंवर को निगरानी हेतु रखा गया । इसके उपरान्त समय 6.35 पीएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री शैतान सिह , श्री अनिल कुमार जोशी मय ट्रैप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिह सउनि, श्री ओमप्रकाश सउनि, जितेन्द्र सिह हेड कानि, श्री सुनिल कुमार कानि. मय परिवादी श्री लोकेश गुर्जर को डिवीआर के मय लैपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन मय चालक श्री शेर सिह के चन्देरिया रेल्वे फाटक के आगे की तरफ सेक्टर ऑफिस के समाने की तरफ खाली जगह में सरकारी वाहन को एक तरफ साईड में खड़ा करते हुए परिवादी श्री लोकेश गुर्जर को डिवीआर चालू कर आरोपी के पास रिश्वत राशि देने हेतु रवाना करते हुए ट्रैप पार्टी के सभी सदस्यो को अपनी अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि लेन देन को देखने व सुनने की हिदायत मुनासिब की परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करे । इसके उपरान्त समय 6.40 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर ने आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादर को 10,000 रूपये रिश्वत राशि देने का पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर दोनो हाथ फैरते हुए किया। जिसे कानि. सुनिल कुमार ने देखकर इशारा किया जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व दोनो स्वतन्त्र गवाहन तेज कदमो से चलते हुए परिवादी के पास पहुचें तथा परिवादी ने डिजिटल वोईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे हेड कानि. जितेन्द्र सिह को दिया जिसने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तथा परिवादी ने हाथ से ईशारा कर पास में खड़े मोटरसाईकिल के पास व्यक्ति की और ईशारा करते हुए बताया कि यही जयराज जी जमादार साहब है जिन्होने अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि 10,000 रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर गिनकर हाथ में ही रखे हुए है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त व्यक्ति के दोनो हाथ पौंचो से उपर कलाई को एक हाथ श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक ने एंव दूसरे हाथ को कानि श्री सुनिल कुमार ने पकड़ लिया तब आरोपी व्यक्ति द्वारा उक्त नोट जो हाथ में थे जिसको नीचे फैकने लगा जिसको गवाह श्री शैतान सिह द्वारा अपने हाथो में कैच (झेल लिया) किया जिसको गवाह श्री शैतान सिह के पास सुरक्षित रखवाई गई तथा उक्त संदिग्ध व्यक्ति जिसके लिये परिवादी ने श्री जयराज कण्डारा जमादार नाम बताया। उक्त व्यक्ति को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देते हुये उक्त व्यक्ति से अपना नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री जयराज कण्डारा पुत्र श्री अम्बालाल कण्डारा उम्र 41 वर्ष निवासी म.न. 14 सावंरिया कालोनी चन्देरिया पुलिस थाना चन्देरिया जिला चितौड़गढ हाल जमादार सेक्टर आफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चितौड़गढ होना बताया। तत्पश्चात घटना स्थल पर शाम का समय होने से हल्का प्रकाश/लाईट होने से एवं पब्लिक आवागमन तथा सुरक्षा की दृष्टि से हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु आरोपी को हमरा लेकर कस्बा चैकी चन्देरिया रवाना हुआ । इसके उपरान्त समय 6.58 पीएम पर कस्बा चैकी चन्देरिया समय करीब 6.58 पीएम पर लेकर पहुचे जहां पर शेष कार्यवाही प्रारम्भ की गई । जिस पर आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार को परिवादी श्री लोकेश गुर्जर से 10,000/- रूपये रिश्वत राशि किस बात के ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में पुछा तो आरोपी जयराज कण्डारा जमादार घबरा गया और कांपने लगा तथा हाथाजोड़ी करते हुए कहने लगा कि साहब गलती हो गई है मुझे माफ कर दो मेरा परिवार खतम हो जायेगा मेरा जीना बैकार हो गया। मेरी लाईफ खतम हो गई मुझे कैसे भी

करके मुझे इस मामले से निकला दो गलती हो गई क्षमा चाहता हूं । उक्त आरोपी के कथनो के सम्बन्ध में परिवादी श्री लोकेश गुर्जर को पूछा तो लोकेश गुर्जर ने बताया कि श्री जयराज कण्डारा जमादार साहब मेरी उपस्थिती भेजने एवं मुझे नगर परिषद चितौड़गढ द्वारा नोटिस दिनांक 23.07.2024 एवं दिनांक 10.09.2024 को दिये गये जिनके जवाब को शामिल फाईल करवाने एवं दिनांक 11.09.2024 से उपस्थिती दर्ज कराने के नाम से इन्होने मेरे से प्रतिमाह 8000 रूपये मासिक बन्धी के रूप में मांग कर रहा है जिसके सम्बन्ध में ब्यूरो में शिकायत दिनांक 18.09.2024 को करने पर ब्यूरो द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु दिनांक 19.09.2024 को कराये गये सत्यापन में वार्ता हुई जिसमें मेरे को दिये गये नोटिस के सम्बन्ध में वार्ता की तथा दिनांक 20.09.2024 को पुनः सत्यापन वार्ता सेक्टर आफिस चन्देरिया के बाहर आमने सामने हुई वार्ता जिसमें इन्होने मेरे से जितनी बार पेमेन्ट लिया उस सम्बन्ध में एवं अब 25000 रूपये और लेने की बात हुई तब मेने 4000 रूपये नकद इनको इनकी मांग अनुसार दिये थे बाकि 22000 और मांग रहे थे तो मेरे द्वारा निवेदन करने पर 18000 रूपये लेना तय हुआ जो मैंने आज मेरी व्यवस्था अनुसार 10000 रूपये रिश्वत में दी जानी वाली राशि आरोपी द्वारा ग्रहण करने पर मैंने निर्धारित ईशारा किया जाना बताया। जिस पर आरोपी श्री जयराज कण्डारा से परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो एवं मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 20.09.2024 के सम्बन्ध में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछा जाने पर आरोपी श्री जयराज कण्डारा ने बताया कि साब गलती हो गई है जो बात श्री लोकेश गुर्जर सफाई कर्मचारी ने बतायी है। वो सारी बात सही है। मैंने तो इनकी भलाई के लिये इनकी उपस्थिती नियमित रूप से भेज रहा था तथा मैंने हमेशा सफाई कर्मचारी की मदद की है तथा मेरे द्वारा श्री लोकेश गुर्जर सफाई कर्मचारी से दिनांक 20.09.2024 को हुई वार्ता के दौरान मैंने श्री राहूल जी जो कार्यालय नगर परिषद चितौड़गढ में कार्यालय लिपिक है जिनसे इनके नोटिस के सम्बन्ध में एवं जोईनिंग देने के सम्बन्ध में बातचीत की थी। उनका इस रिश्वत राशि में कोई सम्बन्ध नही है मैंने मेरे लिये ही लिये है मै किसी को नही फंसाना चाहता हूं जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी द्वारा बताये गये तथ्यो के सम्बन्ध में परिवादी से पूछा तो बताया कि आज मै जब श्री जयराज कण्डारा जमादार से मिला तो इन्होने मेरे पेण्डिग नोटिस एवं उपस्थिती के सम्बन्ध में वार्ता करते हुए मेरे से रिश्वत राशि मांगने पर मैंने इनको इनके दाहिने हाथ में दिये जो इन्होने गिनकर हाथ में रखे हुए थे और मैंने ईशारा किया जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त घटना स्थल सेक्टर आफिस चन्देरिया के सामने की साईड खाली जगह जहां कुछ वाहन खड़े थे एवं पास में रेल्वे फाटक से आने वाला रास्ता एवं सेक्टर आफिस के सामने वाले रास्ते पर पब्लिक आवागमन हो रहा था तथा घटना स्थल पर पूर्ण प्रकाश की व्यवस्था नही होने से आरोपी द्वारा उक्त रिश्वती राशि अपने हाथ से फेंकने की कोशिश करते हुए हाथ से राशि फेंकने लगा जिसे गवाह श्री शैतान सिह ने कैच (झेल लिया) की गई। उपरोक्त राशि 500-500 के कुछ नोट मिले जिनको स्वतन्त्र गवाहन से गिनवाया जाकर फर्द पेशकशी नोट नम्बर से मिलान किया गया तो 500-500 के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये राशि हुबहु हुये। नोटों के नम्बर फर्द अंकित करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी एवं आरोपी जयराज कण्डारा जमादार के कथनों से रिश्वत राशि ग्रहण की स्वीकारोक्ति पर उनके द्वारा ग्रहण की रिश्वत राशि के बारे में प्रमाणिकता होने पर आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु सरकारी वाहन मे से श्री जितेन्द्र सिह हेड कानि से ट्रैप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रैप बॉक्स में सें दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में श्री दलपत सिह सउनि से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार के बांयें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् बरामद शुदा उक्त नोटों पर एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री शैतान सिह से लिवाई गई तो आरोपी की पेन्ट की बांयी जैब से कुछ नोट मिले जिसको गिनवाया गया तो 500-500 के तीन नोट, 100 रूपये का एक नोट एवं 10-10 रूपये के 3 नोट कुल राशि 1630 रूपये एवं पहनी हुई शर्ट की उपरी बायी जैब में एक आरजीएचएस कार्ड लेमिनेशन शुदा मिला। उक्त 1630 रूपये के सम्बन्ध में आरोपी से पूछा तो आरोपी ने अपनी निजी राशि होना बताया जो आरोपी के पास ही रहने दिये गये तथा आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार से परिवादी श्री लोकेश गुर्जर सफाई कर्मचारी के उपस्थिती रजिस्टर एवं इनके नोटिसो से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि उपस्थिती रजिस्टर सेक्टर आफिस चन्देरिया कार्यालय में पड़ा हुआ है जिसकी चाबी मेरे पास नही है। दूसरे जमादार श्री राजेश के पास होना बताई जिस पर कानि. श्री सुनिल कुमार को सेक्टर आफिस चन्देरिया भेजकर उक्त कर्मचारी उपस्थिती पंजीका वार्ड नम्बर 58,59,60 वर्ष 2024-25

लेकर कस्बा चैकी चन्देरिया लाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया जिसकी फर्द जप्ती पृथक से तैयार की जावेगी। तत्पश्चात् आरोपी जयराज कण्डारा जमादार तथा परिवादी श्री लोकेश गुर्जर सफाई कर्मचारी के मध्य आपस में साधारण कॉल पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 20.09.2024 को हुई मोबाईल वार्ता होना पाये जाने से आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार के मोबाईल फोन को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाना आवश्यक होने से उक्त मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा तथा घटना स्थल का नक्शा मौका सूर्यास्त/रात्रि का समय होने से कल दिनांक 29.09.2024 को तैयार किया जावेगा। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि मौके पर ही पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मौके पर ही उपरोक्त कार्यवाही की श्री सुनिल कुमार कानि0 के मोबाईल से विडीयोग्राफी करवाई गई। फर्द हाजा मूर्तिब की जाकर हाजरियान को पढ़कर सुनाई, पढ-सुन-समझ कर सही होना मान अपने-अपने हस्ताक्षर करवाये गये । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द मौके पर ही कस्बा चैकी चन्देरिया पर तैयार की गई। इसके उपरान्त समय 8.30 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के सेक्टर आफिस चन्देरिया कार्यालय से कानि. श्री सुनिल कुमार को भिजवाया जाकर कर्मचारी उपस्थिती पंजीका वर्ष 2024- 25 मंगवाई गई। उक्त कर्मचारी उपस्थिती पंजिका वर्ष 2024 -25 वार्ड नम्बर 58,59,60 जिसमें माह मार्च 2024 से सितम्बर 2024 तक प्राप्त किया जिसमें दिनांक 26.09.2024 तक की उपस्थिती दर्ज है । जिसमें कर्मचारी क्र.स. 1 से 14 तक कर्मचारी के नाम दर्ज है जिसमें प्रकरण के परिवादी श्री लोकेश पुत्र श्री नारायण गुर्जर वार्ड न. 58 की उपस्थिती पर दिनांक 27.09.2024 तक की उपस्थिती पर क्रोस के निशान है। उक्त रजिस्टर को वजह सबुत जप्त कर रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल दस्तावेज किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित को पढ़ कर सुनाई समझाई, सही मान हस्ताक्षर किए किए जाकर शामिल पत्रावली की गई । इसके उपरान्त समय 8.45 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एंव मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ, की जामा तलाशी गवाह श्री शैतान सिह से लिवाई गई तो अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी का बरंग गोल्ड, होकर उसमें एक मोबाईल जीओ कम्पनी की सीम लगी हुई है जिसके सिम नम्बर [redacted] है। जिसके आईएमईआई नम्बर सिम स्लाट 1 नम्बर 861888064007293 एवं सिम स्लाट 2 नम्बर 861888064007285 है, उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यवाही में प्रकरण में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क " M 1" अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित को पढ़ कर सुनाई समझाई, सही मान हस्ताक्षर किए किए जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके उपरान्त समय 9.15 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वंतत्र गवाहान मय श्री दलपत सिह सउनि, मय कानि सुनिल कुमार मय पुलिस थाना चन्देरिया से तलब शुदा महिला कानि श्रीमति रेखा बेल्ट न. 1174 आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार मय सरकारी वाहन मय चालक के आरोपी के निवास म.न. 14 सांवरिया कालोनी चन्देरिया की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। इसके उपरान्त समय 10.15 पी.एम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वंतत्र गवाहान मय श्री दलपत सिह सउनि, मय कानि सुनिल कुमार मय पुलिस थाना चन्देरिया से तलब शुदा महिला कानि श्रीमति रेखा बेल्ट न. 1174 आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार मय सरकारी वाहन मय चालक के आरोपी के निवास म.न. 14 सांवरिया कालोनी चन्देरिया से बाद खाना तलाशी उपस्थित कस्बा चैकी चन्देरिया आये । दौराने कार्यवाही आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार की जामा तलाशी में मिले 1630 रूपये एवं आरजीएचएस कार्ड जिसे आरोपी के पास ही रहने दिए गए थे उनको आरोपी की पत्नी श्रीमति मन्जूला कण्डारा को दौराने खाना तलाशी लौटाये गये थे। इसके उपरान्त समय 10.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री शैतान सिह , श्री अनिल कुमार जोशी मय ट्रैप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिह सउनि, श्री ओमप्रकाश सउनि, जितेन्द्र सिह हेड कानि, श्री सुनिल कुमार कानि. मय परिवादी श्री लोकेश गुर्जर मय आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार मय जप्त शुदा आर्टिकल सेम्पल शिशिया, बरामद शुदा रिश्वत राशि, जप्त शुदा मोबाईल, एवं जप्त शुदा कर्मचारी उपस्थिती पंजीका मय लैपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन मय चालक श्री शेर सिह के रवाना ब्यूरो कार्यालय चितौड़गढ के लिये हुए । इसके उपरान्त समय 11.00 पी.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री शैतान सिह, श्री अनिल कुमार जोशी मय ट्रैप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिह सउनि, श्री ओमप्रकाश सउनि, जितेन्द्र सिह हेड कानि, श्री सुनिल कुमार कानि. मय परिवादी श्री लोकेश गुर्जर मय आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार मय जप्त शुदा आर्टिकल सेम्पल शिशिया , बरामद शुदा रिश्वत राशि, जप्त शुदा मोबाईल, एवं जप्त शुदा कर्मचारी उपस्थिती पंजीका मय लैपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन मय चालक श्री शेर सिह के ब्यूरो कार्यालय चितौड़गढ उपस्थित आये एंव जप्त शुदा अर्टिकल को मालखाना प्रभारी श्री जितेन्द्र सिह हेड कानि को सिपुर्द किये। इसके उपरान्त समय 11.30 पी.एम पर आरोपी श्री जयराज कण्डारा पुत्र श्री अम्बालाल कण्डारा उम्र 41 वर्ष निवासी म.न. 14 सावंरिया कालोनी चन्देरिया पुलिस थाना चन्देरिया जिला चितौड़गढ हाल जमादार सेक्टर आफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चितौड़गढ को अन्तर्गत धारा 35 बी (2) बीएनएसएस के

तहत आरोपी को गिरफ्तार किये जाने के कारणों के संबंध में चैक लिस्ट तैयार की जाकर उसके द्वारा किये गये जुर्म अन्तगत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधन 2018 से अवगत कराया जाकर हस्बकायदा गिरफतार किया गया। तथा गिरफ्तारी के संबंध में उसके अधिकारो से अवगत कराया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नि श्रीमति मंजुला कण्डारा को दी गई। फर्द गिरफतारी हस्वकायदा मुर्तीब कर सम्बधित को पढ़कर सुनाई जाकर सही मान हस्ताक्षर किए तथा गिरफतार शुदा आरोपी को रात्रि निगरानी हेतु ब्यूरो कार्यालय में ही रखा गया एवं आरोपी को भोजन कराया गया। इसके उपरान्त समय 11.40 पी.एम पर आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार को कार्यालय पत्र क्रमांक 1897 दिनांक 28.09.2024 द्वारा पत्र जारी इस सम्बन्ध में किया गया कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री लोकेश गुर्जर एंव आपके मध्य दिनांक 19.09.2024 को रूबरू हुई वार्ता एंव दिनांक 20.09.2024 को मोबाईल पर एवं आमने सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं आज दिनांक 28.09.2024 को रिश्वत राशि लेन देन के समय परिवादी श्री लोकेश गुर्जर एवं आपके मध्य हुई आमने सामने वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डीवीरआर में रेकार्ड की गई जिसके सम्बन्ध में आप अपनी नमूना आवाज रेकार्ड करावे। जिस पर आरोपी ने उक्त पत्र पर आवाज का नमूना के संबंध में "मैं अपनी आवाज का नमुना नही देना चाहता हूँ" अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर जवाब प्रस्तुत किया। पत्र की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। इसके उपरान्त समय 11.50 पी.एम. पर इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनो स्वतंत्र गवाहन, परिवादी एंव गिरफतार शुदा आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार की उपस्थित में दिनांक 28.09.2024 को समय 6.39 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर व आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मध्य चन्देरिया रेल्वे फाटक से पहले आमने-सामने (रूबरू) हुई वार्ता रिश्वत मांग लेन देन के वक्त वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में सुरक्षित है उक्त डिवीआर को कार्यालय मे कम्प्युटर से कनेक्ट कर चलाकर बारी बारी से सुनाया गया तो उपरोक्त वार्ताओं में एक आवाज आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार की होने की आरोपी स्वंय ने अपनी आवाज होने की पुष्टी की तथा एक आवाज परिवादी श्री लोकेश गुर्जर ने अपनी स्वयं की होने की पुष्टी की उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि से पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके उपरान्त दिनांक 29.09.2024 समय 01.05 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष, परिवादी श्री लोकेश गुर्जर व संदिग्ध श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम दिनांक 19.09.2024 को समय 0933 ए.एम. पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर व आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मध्य चन्देरिया रेल्वे फाटक से पहले आमने-सामने (रूबरू) हुई वार्ता, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय दिनांक 20.09.2024 समय 1152 एएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर व आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मध्य सैक्टर ऑफिस चन्देरिया के बाहर आमने-सामने (रूबरू) हुई वार्ता रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय दिनांक 20.09.2024 समय 0137 पीएम आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वार्ता, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता चतुर्थ दिनांक 20.09.2024 समय 0306 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वार्ता मोबाईल वार्ता, दिनांक 28.09.2024 समय 0618 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी की लोकेशन जानने हेतु मोबाईल वार्ता, दिनांक 28.09.2024 समय 0631 पीएम पर आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई मोबाईल वार्ता, दिनांक 28.09.2024 समय 0639 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर व आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है जिसका कार्यालय में कम्प्युटर से कनेक्ट कर तीन पेन ड्राईव एडाटा 16 जीबी मेटल में कॉपी कर सेव किया गया। एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु, एक पेन ड्राईव आरोपी हेतु तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार करवाया गया आरोपी तथा अनुसंधान अधिकारी के पेन ड्राईव को खुला रखा गया तथा माननीय न्यायालय के पेन ड्राईव को सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित को पढ़ कर सुनाई समझाई, सही मान हस्ताक्षर किए किए जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके उपरान्त समय 02.00 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में स्वतंत्र गवाहान व परिवारी के समक्ष, परिवादी श्री लोकेश गुर्जर व संदिग्ध श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम दिनांक 19.09.2024 को समय 0933 ए.एम. पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर व आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मध्य चन्देरिया रेल्वे फाटक से

पहले आमने-सामने (रूबरू) हुई वार्ता, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय दिनांक 20.09.2024 समय 1152 एएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर व आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मध्य सैक्टर ऑफिस चन्देरिया के बाहर आमने-सामने (रूबरू) हुई वार्ता रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय दिनांक 20.09.2024 समय 0137 पीएम आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वार्ता, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता चतुर्थ दिनांक 20.09.2024 समय 0306 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर 77379-35715 पर हुई वार्ता मोबाईल वार्ता, दिनांक 28.09.2024 समय 0618 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी की लोकेशन जानने हेतु मोबाईल वार्ता, दिनांक 28.09.2024 समय 0631 पीएम पर आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री लोकेश गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई मोबाईल वार्ता, दिनांक 28.09.2024 समय 0639 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश गुर्जर व आरोपी श्री जयराज कण्डारा, जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चित्तौडगढ के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मे मेमोरी कार्ड एडाटा 32 जीबी बरंग गुलाबी काला में सुरक्षित है को डिवीआर से निकालकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित को पढ़ कर सुनाई समझाई, सही मान हस्ताक्षर किए किए जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके उपरान्त समय 04.10 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री जयराज कण्डारा जमादार सैक्टर ऑफिस चन्देरिया, नगर परिषद चित्तौडगढ दिनांक 28.09.2024 को समय 0700 पीएम दौराने हाथ धुलाई की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग, समय 0715 पीएम रिश्वत राशि का फर्द दृष्टांत से मिलान की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग, समय 0734 पीएम पर कार्यवाही से संबंधित आर्टिकल व आरोपी के मोबाईल को सीलचिट करने की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग तथा समय 0931 पीएम पर आरोपी के निवास मकान नम्बर 14 सांवरिया कॉलोनी चन्देरिया की खाना तलाषी की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग जो कि श्री सुनिल कुमार कानि 264 के मोबाईल मे रेकार्ड किया गया था। उक्त मोबाईल को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त चारो ऑडियो विडियो रिकार्डिंग को एक पेन ड्राईव में तथा पूर्व में तैयारशुदा आईओ पेन ड्राईव में लेकर सेव किया गया। पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित को पढ़ कर सुनाई समझाई, सही मान हस्ताक्षर किए किए जाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद फारीक कार्यवाही के परिवादी श्री लोकेश गुर्जर एव दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुबह 10.00 एएम पर घटना स्थल का निरीक्षण करने जाने हेतु ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। इसके उपरान्त समय 10.50 एएम पर पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री लोकेश गुर्जर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित है जिनको हमराह लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई के जरिये सरकारी जिप्सी मय चालक एवं आवश्यक स्टेशनरी, लैपटोप, प्रिन्टर के ब्यूरो चैकी चित्तोड़गढ़ से घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु कस्बा चन्देरिया के लिए रवाना हुआ। इसके उपरान्त समय 11.05 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा कस्बा चन्देरिया पहुंचा जहां पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लोकेश गुर्जर की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया जाकर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब कर गवाहान एवं संबधितो के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। इसके उपरान्त समय 11.30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री लोकेश गुर्जर एवं ब्यूरो टीम के सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई के जरिये सरकारी जिप्सी मय चालक एवं आवश्यक स्टेशनरी, लैपटोप, प्रिन्टर के घटना स्थल कस्बा चन्देरिया से ब्यूरो चैकी चित्तोड़गढ़ के लिए रवाना हुआ। इसके उपरान्त समय 11.45 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री लोकेश गुर्जर एवं ब्यूरो टीम के सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई के जरिये सरकारी जिप्सी मय चालक एवं आवश्यक स्टेशनरी, लैपटोप, प्रिन्टर के ब्यूरो चैकी चित्तोड़गढ़ पहुंचा। इसके उपरान्त समय 11.50 एएम पर आरोपी श्री जयराज कण्डारा हाल जमादार सेक्टर आफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चितौड़गढ का मेडिकल कराने हेतु तहरीर दी जाकर श्री सुनील कुमार कानि0 के हमराह आरोपी श्री जयराज कण्डारा के जरिये सरकारी वाहन मय चालक के राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय चित्तोड़गढ़ के लिए रवाना किया। इसके उपरान्त समय 12.20 पीएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना श्री सुनील कुमार कानि0 मय आरोपी श्री जयराज कण्डारा हाल जमादार सेक्टर आफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चितौड़गढ के आरोपी श्री जयराज कण्डारा का मेडिकल करा कर हाजिर एसीबी कार्यालय आया। श्री सुनील कुमार कानि0 ने आरोपी श्री जयराज कण्डारा की मेडिकल रिपोर्ट ब्यूरो कार्यालय के मूल पत्र पर पेश की जिसका अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके उपरान्त समय 01.00 पीएम पर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री जयराज कण्डारा हाल जमादार सेक्टर आफिस चन्देरिया

कार्यालय नगर परिषद चितौड़गढ़ को ट्रेप कार्यवाही से संबंधित परिवादी लोकेश गुर्जर से उसको दिये गये नोटिस एवं उपस्थिति के कार्य के संबंध में रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करने बाबत् पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से तैयार कर आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके उपरान्त समय 01.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री ओम प्रकाश, एएसआई, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0 के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री जयराज कण्डारा हाल जमादार सेक्टर आफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चितौड़गढ़ को वास्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रम संख्यां 01 के लिये रवाना किया गया। इस प्रकार प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन-देन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोल्फथेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व आरोपी के दोनों हाथों की धुलाई का धोवण एवं फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि बरामदगी तथा की गई कार्यवाही की उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री जयराज कण्डारा जमादार द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी परिवादी श्री लोकेश गुर्जर से उसकी उपस्थिती भेजने एवं उसको नगर परिषद चितौड़गढ़ द्वारा नोटिस के जवाब को शामिल फाईल करवाने एवं परिवादी की उपस्थिती दर्ज कराने के नाम से दौराने सत्यापन दिनांक 20.09.2024 को 4000 रूपये नकद प्राप्त करना एवं शेष 18,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग की मांग अनुसार परिवादी की व्यवस्था अनुसार परिवादी श्री लोकेश गुर्जर से 10000 रूपये की रिश्वत राशि दिनांक 28.09.2024 को ग्रहण करा पाया जाने से आरोपी श्री जयराज कण्डारा हाल जमादार सेक्टर आफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चितौड़गढ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री जयराज कण्डारा पुत्र श्री अम्बालाल कण्डारा उम्र 41 वर्ष निवासी म.न. 14 सावंरिया कालोनी चन्देरिया पुलिस थाना चन्देरिया जिला चितौड़गढ हाल जमादार सेक्टर आफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चितौड़गढ के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,चित्तोड़गढ़।.......... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,चित्तोड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में आरोपी श्री जयराज कण्डारा पुत्र श्री अम्बालाल कण्डारा उम्र 41 वर्ष निवासी म.न. 14 सावंरिया कालोनी चन्देरिया पुलिस थाना चन्देरिया जिला चितौड़गढ हाल जमादार सेक्टर आफिस चन्देरिया कार्यालय नगर परिषद चितौड़गढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह परमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 464 पर अंकित है। (कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1185-88 दिनांक 30-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर। 2-नगर परिषद मण्डल,चित्तौडगढ। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चितौड़गढ। उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIKRAM SINGH PARMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Kalu Ram Rawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/09/2024 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): KALU RAM RAWAT

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/07/1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)